

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES



भारत INDIA  
NON JUDICIAL

कांवालय वरिष्ठ कोषाधिकारी

24 AUG 2023

मुख्य रोकड़िया

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

समक्ष:- श्रीमान सचिव महोदय,  
प्राविधिक शिक्षा परिषद्  
30 प्र० लखनऊ ।

प्रारूप-"अ"  
शपथ-पत्र



हम अमीना खातून (अध्यक्ष) एवं मौहम्मद उस्मान (सचिव) क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव श्री बदलू हसन मैमोरियल एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी, ग्राम श्यामपुर पो० कांकर सराय जनपद अमरोहा शपथपूर्वक निम्नवत ध्यान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा बी०एच०एम० कॉलेज ऑफ हायर एजूकेशन, ग्राम फ़राशपुरा पो० जोया जनपद अमरोहा नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना सन 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
  2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम श्री बदलू हसन मैमोरियल एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी, ग्राम फ़राशपुरा पो० जोया जनपद अमरोहा में गाटा संख्या 125/2 रकबा 1.0490 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.0490 हेक्टेयर) भूमि है।
  3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
  4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 125/2 रकबा 1.0490 हेक्टेयर (कुल रकबा 1.0490 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 17.3.2020 द्वारा पारित किया गया है।
- यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है।



9759

Uman Ali

अमीना

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम पर भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय /महाविद्यालय /आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी हूँगा।

Umar Ali

ह० सचिव

अमीना

ह० अध्यक्ष

Received by  
29-07-2023 4:50 PM

9759

ANANATHUR  
Area-1  
No. 9577

S.V.